

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या.(सि) 16280/2023 और सि.वि. आवेदन 65559-655560/2023

त्रिवेणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री निशित गांधी, अधिवक्ता

बनाम

आयकर अधिकारी - 25(3) व अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा:

श्री असीम चावला के साथ
सुश्री प्रतिष्ठा चौधरी, श्री आदित्य गुप्ता,
राजस्व हेतु अधिवक्तागण

रि.या.(सि) 16286/2023 और सि.वि. आवेदन 65583-65584/2023

त्रिवेणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड

..... याचिकाकर्ता

द्वारा:

श्री निशित गांधी, अधिवक्ता

बनाम

आयकर अधिकारी - 25(3) व अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा:

श्री असीम चावला के साथ
सुश्री प्रतिष्ठा चौधरी, श्री आदित्य
गुप्ता, राजस्व हेतु अधिवक्तागण

रि.या.(सि) 16287/2023 व सि.वि. आवेदन 65587-65588/2023

त्रिवेणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड याचिकाकर्ता
द्वारा: श्री निशित गांधी, अधिवक्ता

बनाम

आयकर अधिकारी - 25(3) व अन्य प्रत्यर्थागण
द्वारा: श्री असीम चावला सह
सुश्री प्रतिष्ठा चौधरी, श्री आदित्य
गुप्ता, राजस्व हेतु अधिवक्तागण

निर्णय की तिथि: 18 दिसम्बर, 2023

कोरम:

माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री मिनी पुष्कर्णा

निर्णय

मनमोहन, कार्य.मु.न्या. : (मौखिक)

1. वर्तमान रिट याचिकाएं आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षिप्त में "अधिनियम") की धारा 148क(घ) के तहत निर्धारण वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 के लिए दिनांक 25 जुलाई, 2022 को पारित आदेशों और इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 148 के तहत जारी किए गए दिनांक 25 जुलाई, 2022 के नोटिस को चुनौती

देते हुए दायर की गई हैं। याचिकाकर्ता इसके अलावा अधिनियम की धारा 115खखड़ की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अधिनियम की धारा 148 के तहत जारी किए गए नोटिस प्रासंगिक निर्धारण वर्षों की समाप्ति के तीन साल बाद जारी किए गए हैं और वह भी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त से मंजूरी प्राप्त करने के बाद जारी किए गए हैं, न कि प्रधान आयकर आयुक्त से जैसा कि वर्तमान मामलों में किया गया है।

3. प्रत्यर्धी-राजस्व के विद्वान अधिवक्ता, जो अग्रिम नोटिस पर उपस्थित हुए हैं, कहे कि वर्तमान मामलों में, अधिनियम की धारा 148क(घ) के तहत आदेश पारित करने के बाद, निर्धारण वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 के लिए क्रमशः दिनांक 9 मई, 2023, 27 अप्रैल, 2023 और 18 मई, 2023 को अंतिम निर्धारण आदेश पारित किए गए थे। उन्होंने आगे कहा कि परिसीमा का मुद्दा, मामलों के वर्तमान बैच में तथ्य और कानून का मिश्रित प्रश्न होने के नाते, अपील प्राधिकारियों के समक्ष उठाया जाना चाहिए।

4. इस स्तर पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अधिनियम की धारा 115 ख ख ड़ की संवैधानिक वैधता के मुद्दे पर अपील प्राधिकारी द्वारा न्यायनिर्णयन नहीं किया जा सकता है। अपनी प्रस्तुति के समर्थन में, वह अभिलेखों में से एक आधार टी को संदर्भित करते हैं। इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है :-

“टी. याचिकाकर्ता आगे निवेदन करते हैं कि वर्तमान मामले में धारा 115 ख ख ड़ को लागू करना अनुचित है। याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 115 ख ख ड़ के संवैधानिक अधिकारों का निर्धारण करने के लिए हमारे माननीय न्यायालय का हस्तक्षेप चाहते हैं क्योंकि यह अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है और संविधान में दिए गये मौलिक आर्थिक न्याय का भी उल्लंघन है।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि विवेक के व्यक्तिपरक प्रयोग के आधार पर इस धारा के दुरुपयोग की संभावना है, जिससे यह पूर्ण रूप से निर्धारण अधिकारी की व्यक्तिपरक राय और व्यक्तिपरक संतुष्टि पर निर्भर करेगा कि क्या किसी विशेष मामले में धारा 68 से 69 घ को लागू किया जाना चाहिए या नहीं। बेशक, धारा 68 से 69 घ प्रकृति में विवेकाधीन हैं और अनिवार्य नहीं हैं [संदर्भ सीआईटी बनाम पीके नूरजहां - (1999) 237 आईटीआर 670 (एससी)] और इस वजह से वे प्रयोग में विकृति के दोष से ग्रस्त हैं। इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां समान रूप से रखे गए निर्धारितियों को निर्धारण अधिकारी के विवेक के आधार पर अधिनियम के अधीन पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है। धारा 115ख ख ड़ त्रुटीग्रस्त है। इसे एक सरल दृष्टांत द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए कि एक ही व्यवसाय में दो अलग-अलग निर्धारिती हैं जो समान आय अर्जित करते हैं और एक ही निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें व्यवसाय से अर्जित नकद आय दोनों निर्धारितियों द्वारा प्रकट की जाती है। उक्त आय अधिनियम की धारा 28 के तहत कर योग्य है। यह उल्लेखनीय है कि यहां तक कि आय जिस पर धारा 68 से 69 घ लागू होती है, उसे धारा 14 के अनुसार किसी एक विशिष्ट शीर्षक के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए। अब यदि निर्धारण अधिकारी एक निर्धारिती के मामले में नकद में अर्जित व्यावसायिक आय के लिए धारा 68 लागू करने का विकल्प चुनता है और दूसरे निर्धारिती के मामले में ऐसा नहीं करने का विकल्प चुनता है, तो यह पूरी तरह से अनुचित करारोपण होगा क्योंकि जिस निर्धारिती के मामले में उक्त धारा 68 लागू की गई है, उस पर कर-देयता दोगुनी से अधिक हो जाएगी [क्योंकि कर निर्धारण वर्ष 2017-18 से धारा 115ख ख ड़ के तहत कर 60% जमा 25% अधिभार और आगे जुर्माना और ब्याज]। वर्तमान स्थिति की तरह और भी बदतर स्थिति में, निर्धारण अधिकारी केवल अपनी अमान्य कार्रवाई के समर्थन में धारा 68 लागू कर सकता है और परिणामस्वरूप निर्धारिती को धारा 115ख ख ड़ के अधीन कर सकता है क्योंकि विवेक का सही प्रकार से उपयोग नहीं किया गया था। यह अत्यंत आदर के साथ प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम, पक्षपाती दिमाग के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। यही कारण है कि याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 115ख ख ड़ के कारण हुए अन्याय की शिकायत के निवारण में इस माननीय न्यायालय का हस्तक्षेप चाहता है, जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ है। यह मुद्दा तब और भी गंभीर हो जाता है जब निर्धारण करने के तरीके में अपारदर्शिता की गई है (अज्ञात निर्धारण होने के कारण)। धारा 115 ख ख ड़ की एक मूल प्रति इसके साथ संलग्न है और अनुलग्नक पी 16 के रूप में चिह्नित है।

5. यह स्थापित कानून है कि सांविधिक अधिनियमों और उनके प्रावधानों को इस काल्पनिक सिद्धांत के आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाना चाहिए कि शक्ति का प्रयोग अवास्तविक तरीके से या शून्य में या इस आधार पर किया जा सकता कि सांविधिक प्रावधान के दुरुपयोग की आशंका है या शक्ति के दुरुपयोग की संभावना है। जब तक इसके विपरीत साबित नहीं होता है तब तक यह माना जाना चाहिए कि किसी विशेष कानून का प्रशासन और कार्यान्वयन "दुर्भावना और पक्षपात के साथ नहीं" किया जा सकता। **मगनलाल छगनलाल (प्रा.) लिमिटेड बनाम ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम एवं अन्य, (1974) 2 एससीसी 402** में उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

" 15.....प्रशासनिक अधिकारी, न्यायालयों से कम नहीं हैं, शून्य में काम नहीं करते हैं। यह अभिनिर्धारित करना अत्यंत अवास्तविक होगा कि एक प्रशासनिक अधिकारी सरकारी संपत्ति या नगरपालिका संपत्ति के अनधिकृत अधिभोगियों को बेदखल करने के लिए कार्यवाही करते समय एक मामले में दोनों अधिनियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का सहारा लेगा और दूसरे में साधारण सिविल न्यायालय का। इन दोनों अधिनियमों के प्रावधानों को इस काल्पनिक आधार पर नहीं हटाया जा सकता है कि शक्ति का प्रयोग इतने अवास्तविक तरीके से किया जाएगा। इस बात पर विचार करते हुए कि क्या अधिकारी व्यक्तियों के समूहों के बीच भेदभाव करेंगे, हमको सामान्य मानव व्यवहार को ध्यान में रखना होगा न कि उस व्यवहार को जो असामान्य है। यह भेदभाव की काल्पनिक संभावना नहीं है, बल्कि भेदभाव का वास्तविक संकट है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। यह उन मामलों में से नहीं है जहाँ कानून में भेदभाव साफ़ दिखाई पड़ता है। भेदभाव संभव है लेकिन ऐसा होना अत्यंत कठिन है....."

(जोर दिया गया है)

6. **सीमा शुल्क कलेक्टर बनाम नथेला संपाथु चेट्टी, 1962 एससीसी**

ऑनलाइन एससी 30 में उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है: -

"34....इस न्यायालय ने कई निर्णयों में कहा है, जिसका उल्लेख करना अनावश्यक है कि किसी भी कानून में निहित प्रावधानों के अधीन शक्तियों के दुरुपयोग की संभावना प्रावधान को अनुचित या अमान्य घोषित करने का कोई आधार नहीं है। उत्तरी आयरलैंड के अपील न्यायालय के निर्णय के एक अंश पर टिप्पणी करते हुए, जिसमें कहा गया है:

"यदि ऐसी शक्तियां यथोचित रूप से प्रयोग करने में सक्षम हैं, तो यह कहना असंभव है कि उनका अनुचित रूप से प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है" और इसे कानून को अमान्य रखने के लिए एक आधार के रूप में मानते हुए, विस्काउंट साइमंड्स ने बेलफास्ट कॉर्पोरेशन बनाम ओडी कमीशन [1960 एससी 490 पर पृ. 520-521] में कहा:

"मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस विवाद का संक्षिप्त उत्तर (और मुझे आशा है कि इसकी लघुता को अनादर के रूप में नहीं माना जाएगा) यह है कि किसी उपाय की वैधता विशेष मामलों में इसके लागू होने से नहीं निर्धारित की जानी है.। यदि इसका प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जाता है (अर्थात् यदि शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है) तो यह आक्षेपणीय है और इसको चुनौती देने के लिए कानून में स्पष्ट प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी कानून के दुरुपयोग की संभावना, इसे अमान्य नहीं करती है....."

7. परिणामस्वरूप, इस स्तर पर, अधिनियम की धारा 115 ख ख ड को इस आधार पर असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता है कि उक्त प्रावधान के दुरुपयोग की आशंका है।

8. इसके अतिरिक्त, यह स्थापित कानून है कि अधिनियम कर के निर्धारण/पुनः निर्धारण के लिए एक पूर्ण तंत्र प्रदान करता है और निर्धारिती को संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय की अधिकारिता का उपयोग करने के लिए उस तंत्र का परित्याग करने की अनुमति नहीं है। [देखें : **आयकर आयुक्त एवं अन्य बनाम छबील दास अग्रवाल, (2014) 1 एससीसी 603**]।

9. नतीजतन, वर्तमान रिट याचिकाओं और लंबित आवेदनों को खारिज किया जाता है।
10. हालांकि, याचिकाकर्ता को विधि अनुसार अपील प्राधिकारी के समक्ष अपने सभी तर्कों और प्रस्तुतियों को रखने की स्वतंत्रता दी गई है।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश

मिनी पुष्करणा, न्या.

18 दिसम्बर, 2023
एस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।